अति–आवश्यक

राजस्थान–सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(20)ग्रावि/प्र.आ.यो.ग्रा/ग्रुप–5/2016–17 जयपुर, दिनांक 17 जून, 2016

जिला कलेक्टर
समस्त राजस्थान।

विषय :– प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के विधिवत शुभारंभ से पूर्व की तैयारियों के सम्बंध में।

प्रसंग :– अतिरिक्त सचिव ग्रामीण विकास मंत्रालय का पत्रांक दिनांक 06 जून,2016

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के प्रासंगिक पत्र अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण को माह अगस्त, 2016 से औपचारिक शुभारम्भ किया जाना प्रस्तावित है। जिसके क्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के विधिवत शुभारंभ से पूर्व योजना की जानकारी देते हुये निम्नानुसार कार्यवाही की जानी है :–

1. प्रथम वर्ष में SECC–2011 के आधार पर चयनित वरीयता सूची के लाभार्थियों के अतिरिक्त, स्वतः शामिल परिवार अर्थात भूमिहीन मुक्त बन्धुआ मजदूर, HIV AIDS से पीडित परिवार, सिर पर मैला ढोनें वाले परिवार, PVTG/FRA परिवार एवं पॉलीथीन की छत में रहने वाले परिवारों को अनिवार्य रूप से आवास स्वीकृत किया जाना है। साथ ही भूमिहीन परिवारों को निः शुल्क भूमि, पत्नी व पति के नाम से आवंटित की जानी। जिले में स्वतः शामिल किये जाने वाले व भूमिहीन परिवारों को सूचिबद्व किया जाये एवं आवश्यक भूमि, कार्यक्रम के शुभारंभ से पूर्व आवंटित कर दी जावें।
2. शुभारंभ के दिवस का आयोजन 'आवास दिवस' के रूप मे सम्पूर्ण राज्य में किया जावे। अपेक्षित कार्यवाहीः विभागीय समसंख्यक निर्देश दिनांक 25.04.2016 के अनुसार पालना कर भारत सरकार के निर्देशानुसार निर्माणाधीन आवासों को शुभारंभ से पूर्व पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करे। राज्य सरकार को वर्ष 2016–17 हेतु, वर्ष 2015–16 से लगभग दोगुना लक्ष्य मिलना सम्भावित है, एवं पात्रता/वरीयता सूचियों के आधार पर राज्य को आगामी दो वर्षो में सभी को आवास उपलब्ध कराये जाने हेतु लक्ष्य मिलना संभावित है अतः आवास दिवस के दिन इस वर्ष के लाभार्थियों को प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति एवं द्वितीय व तृतीय वर्ष के लाभान्वित होने वालो को आवास स्वीकृति बाबत सूचना उपलब्ध करवाने की कार्यवाही की जावें। संभावित कार्यवाही निम्नानुसार हैः–
   - आवाससॉफ्ट पर पंजीयन हेतु आवश्यक दस्तावेजों यथा आधार/वोटर कार्ड/CBS आधारित बैंक खाता नम्बर/भूमि नम्बर/Mobile no./ भूमि सम्बंधि दस्तावेज आदि के साथ ही स्वीकृति हेतु आवश्यक सत्यापन ग्राम सेवक से, अनिवार्य रूप से आवास दिवस से पूर्व करवा लिया जावे। 2016–17 के लाभार्थियों को AS/FS मय आवास अधिकार कार्ड व आवास नक्शें लाभार्थियों को उपलब्ध कराई जावें। वर्ष 17–18, व 18–19 के दौरान स्वीकृति कियो जाने वालें आवासों के लाभार्थियों को आवास स्वीकृत सूचना पत्र अनिवार्य रूप से तैयार कर आवास दिवस पर वितरित किये जाये।

- वर्ष 2016–17 के सभी लाभार्थियों को अधिकतम प्रति 20 लाभार्थी 1–1 आवास सहायक को आवंटित किये जावे एवं पंचायत/पंचायत समिति स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित करवाये जावे।

3. Housing Typology व तकमीना ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से IIT दिल्ली द्वारा विभिन्न प्रकार के आवासों के मानचित्र उपलब्ध कराये गये है जिनके Prototype निर्माण हेतु राशि स्वीकृत की गई है। अतः जिले हेतु उपयुक्त Prototype का निर्माण कर लागत के तकमीने सामग्री विवरण से लाभार्थियों को अवगत कराया जाये।
4. इसी कम में विभिन्न आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत समस्त निर्माणाधीन आवासों को जिलेवार/माहवार आवंटित लक्ष्यानुसार नवम्बर, 2016 तक आवश्यक रूप से पूर्ण कराये जावें।

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के प्रावधानों के अनुसार गत वर्षों के अपूर्ण आवासों को शत प्रतिशत पूर्ण कराने पर ही राज्य को द्वितीय किश्त का आवंटन प्राप्त हो सकेगा। विभिन्न आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2011–12 से वर्ष 2015–16 तक 3,22,565 आवास अभी भी अपूर्ण/प्रगतिरत है। इस कम में विभाग द्वारा माह नवम्बर, 2016 तक पूर्ण कराने हेतु जिलेवार/माहवार आवंटित लक्ष्यों के विरूद्ध आदिनांक तक की प्रगति असंतोषजनक है।

अतः प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के प्रस्तावित प्रावधानों के दृष्टिगत राज्य को योजनान्तर्गत द्वितीय किश्त आवंटन हेतु गत वर्षों के अपूर्ण आवासों को पूर्ण कराने हेतु आपकी सघन मॉनिटरिंग में संलग्न कार्ययोजना अनुसार कार्यवाही कराकर अपूर्ण आवासों को माह नवम्बर, 2016 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कराना सुनिश्चित करावें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

17/6/16

(राजीव सिंह ठाकुर)
शासन सचिव, ग्रावि

प्रतिलिपि :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय , ग्रामीण विकास विभाग, नई दिल्ली।
3. निजी सचिव, संयुक्त सचिव (ग्रा.आ.), ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग, नई दिल्ली।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
6. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
7. परियोजना निदेशक एवं पदेन उपसचिव(मो. एवं मू.) को विभागीय बेव–साईट पर अपलोड करने हेतु।

अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)

अपूर्ण आवासों को पूर्ण कराने हेतु कार्ययोजना

जिला स्तर से अपेक्षित कार्यवाही :–

- आवाससॉफ्ट पर लाभार्थी से सम्बन्धित समस्त सूचनाओं का अपडेशन करना।
- प्रति 10 आवासों पर 1 टैग अधिकारी (ग्राम सेवक, ग्राम रोजगार सहायक, कनिष्ठ लिपिक, वार्डपंच, एसएचजी, जेईएन, जेटीए, पंचायत/प्रगति/उद्योग/प्रसार अधिकारी एवं सहायक अभियन्ता) नियुक्त करना।
- टैग अधिकारी आवंटित 10 आवासों के लाभार्थियों को समय पर भुगतान, मस्टररोल जारी करवाना एवं प्रगति का नियमित पर्यवेक्षण करेगा। लापरवाही की स्थिति में टैग अधिकारी के विरूद्ध नियमानुसार सख्त कार्यवाही की जावें।
- दिशा–निर्देशानुसार आवास का उपयोगिता प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए ग्राम सेवक को अधिकृत है। इसी क्रम में यदि प्रेरक/टैग अधिकारी राजकीय कर्मचारी नहीं है तो उपयोगिता प्रमाण–पत्र पर प्रेरक के साथ ग्राम सेवक का प्रमाणिकरण उपरान्त किश्त देय होगा।
- आवास का उपयोगिता प्रमाण–पत्र हेतु यदि टैग अधिकारी यथा जेईएन, जेटीए, पंचायत/प्रगति/उद्योग/प्रसार अधिकारी एवं सहायक अभियन्ता को नियुक्त किया गया है तो उनके द्वारा जारी उपयोगिता प्रमाण–पत्र के आधार पर ही योजनान्तर्गत किश्त का भुगतान कर दिया जावेगा।

पंचायत समिति स्तर से अपेक्षित कार्यवाही :–

- ग्राम पंचायतवार मोबाईल नम्बरों के ग्रुप एसएमएस हेतु ग्रुप बनाकर लाभार्थी को माह में 2 बार एसएमएस/ऑडियों मैसेज के माध्यम से अनुरोध किया जावें।
- अपूर्ण आवासों हेतु 10 आवासों पर 1 प्रेरक जो कि मानदेय पर आधारित कार्मिक/वार्डपंच/सीआरपी/वीआरपी/एसएचजी को नियुक्त किया जाकर आवास पूर्ण कराने हेतु आवश्यक प्रशिक्षण दिया जावें।
- ग्राम/ग्राम पंचायतवार नियुक्त प्रेरकों के पर्यवेक्षण/सहयोग हेतु उक्तानुसार नियुक्त टैग अधिकारी को प्रभारी बनाया जावें।
- लाभार्थियों को प्रेरक के माध्यम से आवास हेतु जारी किश्त की सूचना के साथ आवास पूर्ण कराने हेतु पत्र द्वारा नियमित रूप से अनुरोध किया जावें।
- लाभार्थियों की संख्या के अनुसार अनिवार्य रूप से पाक्षिक कार्यशाला ग्राम पंचायत/पंचायत क्लस्टर/पंचायत समिति स्तर पर आयोजित की जावें।
- ग्राम पंचायत/पंचायत समिति स्तर पर आयोजित कार्यशाला में लाभार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए वास्तविक यात्रा व्यय का प्रशासनिक मद से नियमानुसार भुगतान कराया जावें।
- कार्यशाला के दौरान ही लाभार्थी से कार्य पूर्ण कराने की सम्भावित तिथि का आशय पत्र के आधार पर आगामी किश्त भुगतान का प्रशासनिक आदेश जारी कर लाभार्थी को प्रति उपलब्ध कराई जावें। (प्रशासनिक आदेश का प्रारूप संलग्न है)
- कार्यशाला में ही महात्मा गांधी नरेगा के अन्तर्गत देय मानव दिवस हेतु मस्टररोल जारी कर उपलब्ध कराया जावें।
- आगामी पाक्षिक कार्यशाला में पूर्व में जारी मस्टररोल जमा कर भुगतान हेतु FTO जारी कराया जावें।
- उक्तानुसार प्रयासों के उपरान्त भी कार्य पूर्ण कराने में रूचि नहीं रखने वाले लाभार्थियों के खिलाफ नियमानुसार PDR Act के तहत कार्यवाही की जावें।
- किश्त भुगतान की स्वीकृति के साथ ही प्रशासनिक मद से प्रेरक को देय मानदेय, अन्य देय व्यय का भुगतान की स्वीकृति भी जारी की जावें।